

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सयिन योशरी बनाम रामफल झांसि

दावा बाबत :- 88 R+ ACH

मुकदमा नम्बर :- 23/23

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से वकील जरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं0.1.5.2 की ओर से वकील जयकिशन जोषास की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.5.23 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही ओला झांसन के त्वाग सं0 88/84 के त्वाग सं0 167 व 232/1 की कुल 14.4950 है. बरानी खालडीरी की कृषि भूमि उत्पत्ती सं0 1 रामफल के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा में है उत्पत्ती सं0 1 रामफल झोले की बजाय वादी सयिन योशरी, उत्पत्ती सं0 1 रामफल, उत्पत्ती सं0 2 विक्रम कुमार की बहिष्मा करार में त्वागार मन्तरार घोषित किए जाते हैं। रासीनामा में डिक्री का भाग पदा लावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.5.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



[Signature]
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़